# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 04/2019

1. पंजाब एण्ड सिंघ बैंक शाखा :–एलबीएस कॉलेज, 441 ए, डॉल्फिन स्कूल के पास, गली नं04, राजापार्क जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी जी0आर0 मीणा

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स राजस्थान एजुकेशन इंस्टीट्यूट एण्ड हैल्थ सोसायटी सोमनाथ नगर, गणेशपुरा रोड, दौसा जिला दौसा (राज0)
   डॉ. श्री छुट्टनलाल मीणा पुत्र श्री कालूराम मीणा (फाउण्डर डायरेक्टर) प्लॉट नं0 डी 81, सोमनाथ नगर, आगरा रोड दौसा जिला दौसा राज0
   डॉ. श्री रामसागर नागर पुत्र श्री मांगीलाल नागर (प्रेसिडेन्ट), प्लॉट नं0 के–66, किशन नगर , श्याम नगर जयपुर राज0
   श्रीमती प्रेम देवी मीणा पत्नी डॉ. छुट्टनलाल मीणा (ट्रेजरार) प्लॉट नं0 डी 81, सोमनाथ नगर, आगरा रोड दौसा जिला दौसा राज0
   डॉ. राजकुमारी नागर पत्नी डॉ. श्री रामसागर नागर (सेक्रेट्री), प्लॉट नं. के–66, , किशन नगर , श्याम नगर जयपुर राज0

अप्रार्थीगण/ऋणी

2. श्री कैलाश चन्द शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, जी–14 मधुवन होटल के पास, संजय मिश्रा नगर, आगरा रोड़ जिला दौसा राज0

गारन्टर

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री आर.पी. सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी बैंक।
श्री रमेश चन्द खण्डेलवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी।

## आदेश

दिनांकः 01.10.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक पंजाब एण्ड सिंघ बैंक ने अप्रार्थीगण/ऋणी मैसर्स राजस्थान एजुकेशन इंस्टीट्यूट एण्ड हैल्थ सोसायटी सोमनाथ नगर, गणेशपुरा रोड, दौसा जिला दौसा (राज0) को 7,27,51,000/–(रूपये सात करोड़ सत्ताईस लाख इक्यावन हजार) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी द्वारा अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने के पश्चात अप्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंघ बैंक एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण को सुना गया। हमने प्रार्थी बैंक पंजाब एण्ड सिंघ बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रतिभूत लेनदार द्वारा धारा 13(4) के अन्तर्गत अनियमितता या अवैधानिकता की जाने पर धारा 17 के अन्तर्गत उपचार उपलब्ध है। जिसके तहत व्यथित व्यक्ति द्वारा ऋण वसूली अधिकरण (***Debts RecoveryTribunal***) में अपील प्रस्तुत की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा सरफेसी एक्ट की धारा 17 के अंतर्गत कोई कार्यवाही की गई हो ऐसा कोई दस्तावेज/सबूत इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक पंजाब एण्ड सिंघ बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकितानुसार बंधक रखी गई सम्पत्ति अप्रार्थी मैसर्स राजस्थान एजुकेशन इंस्टीट्यूट एण्ड हैल्थ सोसायटी की खसरा नम्बर 112 ग्राम गणेशपुरा, रेल्वे क्रॉसिंग के पास दौसा जिला दौसा राज0 स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 45054.85 वर्गगज) जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक पंजाब एण्ड सिंघ बैंक को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार एवं नम्बर से कम की जावे। आदेश आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official